(8)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 74 / 2021

रमेश डैला मार्फत राधेश्याम चेजारा, निवासी पिठौला मौहल्ला, सिंघाना, जिला झुंझुनूं (राज0) 333516

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 74 / 2021 पर दिनांक 03.05.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1929–30 दिनांक 03.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1301 दिनांक 31.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रमेश डैला मार्फत राधेश्याम चेजारा, निवासी पिठौला मौहल्ला, सिंघाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर मुकदमा संख्या 206 / 1992 निर्णय दिनांक 31.10.1993 (धनसीराम बनाम राजस्थान सरकार) की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)अभिलेखागार / सू0अ0 / 2021 / 175 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही। (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1301 दिनांक 31.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रमेश डैला मार्फत राधेश्याम चेजारा, निवासी पिठौला मौहल्ला, सिंघाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर मुकदमा संख्या 206 / 1992 निर्णय दिनांक 31.10.1993 (धनसीराम बनाम राजस्थान सरकार) की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) अभिलेखागार / सू0अ0 / 2021 / 175 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

09/06/2